पत्रांक–11 / न0वि0 / गठन–11 / 2025– 2860   न०वि०एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–26/08/26

विषयः– **राज्य के नगर निकायों में दो या उससे अधिक नगरपालिका क्षेत्रों को एक नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठित करने, नगरपालिका क्षेत्र से संलग्न किसी ग्रामीण क्षेत्र को उस नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण एवं नए नगर निकायों के गठन हेतु औचित्य पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक 2548 दिनांक 13.07.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 514 (4) दिनांक 28.07.2025 के आलोक में भारत की जनगणना कार्य पूर्ण होने तक बिहार नगरपालिका अधिनियम (यथा संशोधित), 2007 की धारा 3, 7 एवं 8 के आलोक में राज्य के नगर निकायों में दो या उससे अधिक नगरपालिका क्षेत्रों को एक नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठित करने (Merger), नगरपालिका क्षेत्र से संलग्न किसी ग्रामीण क्षेत्र को उस नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने (Expansion) तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण (Upgradation) एवं नए नगर निकायों के गठन (Creation) संबंधी प्रस्ताव विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

इस क्रम में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिले से भेजे जाने वाले प्रस्तावों की समीक्षा जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के द्वारा की जाए। अतः अनुरोध है कि अपने जिले के माननीय प्रभारी मंत्री से गठित प्रस्तावों की समीक्षा के लिए जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित करने का अनुरोध करें और समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव दिनांक 15.09.2026 तक विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराएं।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव

(352)

पत्रांक–11/न0वि0/गठन–11/2025 2548 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांकः–13/07/26

विषयः– राज्य के नगर निकायों में दो या उससे अधिक नगरपालिका क्षेत्रों को एक नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठित करने, नगरपालिका क्षेत्र से संलग्न किसी ग्रामीण क्षेत्र को उस नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण एवं नए नगर निकायों के गठन हेतु औचित्य पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 2095 दिनांक 22.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा राज्य में नए नगर निकायों के गठन तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण एवं क्षेत्र विस्तार हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उक्त आलोक में विभिन्न जिलों से प्राप्त अनुशंसा के क्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 514 (4) दिनांक 28.07.2025 द्वारा भारत की जनगणना–2027 के लिए बिहार राज्य के सभी जिलों, अनुमण्डलों, सामुदायिक विकास प्रखण्डों, सांविधिक शहरों, ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों की प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक 31.12.2025 के पश्चात से भारत की जनगणना–2027 का कार्य पूर्ण होने की तिथि 31.03.2027 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किये जाने का आदेश प्राप्त हुआ।

2. फलस्वरूप विभागीय पत्रांक 938 दिनांक 06.03.2026 द्वारा भारत की जनगणना–2027 के परिप्रेक्ष्य में जनगणना का कार्य पूर्ण होने की तिथि दिनांक 31.03.2027 के पश्चात राज्य में नए नगर निकायों के गठन तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण एवं क्षेत्र विस्तार हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है।

3. इस क्रम में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जनगणना कार्य पूर्ण होने तक राज्य के नगर निकायों में दो या उससे अधिक नगरपालिका क्षेत्रों को एक नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठित करने, नगरपालिका क्षेत्र से संलग्न किसी ग्रामीण क्षेत्र को उस नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण एवं नए नगर निकायों के गठन संबंधी प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएँ।

4. उल्लेखनीय है कि राज्य के कई नगर निकायों का तीव्र गति से शहरीकरण के कारण आस–पास के संलग्न नगर निकायों की भौतिक संरचना एक जैसी हो गई है। फलस्परूप प्रशासनिक दृष्टिकोण से उक्त नगर निकायों का एक नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठित करने की

आवश्यकता है। दूसरी ओर वर्तमान में राज्य के छोटे प्रगतिशील शहरीनुमा क्षेत्रों का शहर में तब्दील होने पश्चात नगर पंचायतों को "नगर परिषद" के रूप में तथा राज्य के कुछ बड़े नगर परिषदों को "नगर निगम" के रूप में उत्क्रमित किए जाने के संबंध में वैधानिक दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कई नगर निकायों के शहरी क्षेत्र का विस्तारीकरण के फलस्वरूप इनके क्षेत्र विस्तार पर भी विचार किया जा सकता है। इस क्रम में कई छोटे–छोटे बाजार का विस्तार हुआ है, जो उक्त अधिनियम की धारा–3 एवं 7 के आलोक में नगर निकायों के गठन के योग्य हो सकते है।

5. अतः अनुरोध है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम (यथा संशोधित), 2007 की धारा 3, 7 एवं 8 के आलोक में राज्य के नगर निकायों में दो या उससे अधिक नगरपालिका क्षेत्रों को एक नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठित करने (Merger), नगरपालिका क्षेत्र से संलग्न किसी ग्रामीण क्षेत्र को उस नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने (Expansion) तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण (Upgradation) एवं नए नगर निकायों के गठन (Creation) संबंधी प्रस्ताव, जिसमें नगर निकाय की कुल जनसंख्या, कुल कर्मियों (Workers) की संख्या एवं कुल कृषि कर्मियों (Agricultural Workers) की संख्या, कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0), जनसंख्या घनत्व, सीमा, चौहद्दी एवं थाना नं0 इत्यादि स्पष्ट अंकित हो, आधार पर विहित प्रपत्र (मूल) में नक्शा सहित दिनांक 30.08.2026 तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

13/1/26

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/न0वि0/गठन–11/2025 2548 /न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक–13/1/26

प्रतिलिपिः माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार/सचिव, पंचायती राज विभाग/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/26

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/न0वि0/गठन– 11/2025 2548 /न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक–13/1/26

प्रतिलिपिः नगर आयुक्त, सभी नगर निगम /कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/26

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/न0वि0/गठन–11/2025 2548 /न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक– 13/1/26

प्रतिलिपिः माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/26

प्रधान सचिव।

350

प्रपत्र

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–6 के अतंर्गत नगर निकाय घोषित किये जाने हेतु वांछित सूचनाएँ उपलब्ध कराने के लिए विहित प्रपत्र।

1. शहर का नाम–
2. नगर निकाय में सम्मिलित किये जाने वाले गाँवों का नाम एवं थाना नम्बर–
3. जिला का नाम–
4. प्रस्तावित नगर निकाय का क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0 में–नक्शा संलग्न किया जाय)–
5. प्रस्तावित नगर निकाय की चौहद्दी–

दिशाएँ	ग्राम	थाना नम्बर
(क) उत्तर		
(ख) दक्षिण		
(ग) पूरब		
(घ) पश्चिम		

6. प्रस्तावित नगर निकाय की जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के प्रकाशित आंकड़ें के अनुसार)–
7. प्रतिवर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व–
8. प्रस्तावित नगर निकाय में कुल कर्मियों की जनसंख्या–
9. प्रस्तावित नगर निकाय में दीर्घकालीन व अल्पकालीन काश्तकार कर्मियों की जनसख्या–
10. प्रस्तावित नगर निकाय में कुल कर्मियों की जनसंख्या में दीर्घकालीन व अल्पकालीन काश्तकार कर्मियों (कृषि कर्मियों) की जनसख्या का प्रतिशत–
11. प्रस्तावित क्षेत्र को नगर निकाय घोषित किये जाने का औचित्य–
12. प्रस्तावित नगर निकाय के संसाधन एवं आय के स्रोत–
13. प्रस्तावित नगर निकाय के आवर्ती एवं अनावर्ती सम्भावित व्यय का विवरण–
14. संभावित अवधि जिसके अतंर्गत नगर निकाय अपना खर्च स्वयं वहन करने में सक्षम हो सकेगा–
15. प्रारंभिक खर्च के लिए राशि–
16. प्रस्तावित नगर निकाय के अतंर्गत कार्यरत ग्राम पंचायतों का नाम–
17. क्या प्रस्तावित नगर निकाय बिना किसी वाह्य वित्तीय सहायता के मूलभूत नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के सक्षम हो सकेगी?–
18. जिला पदाधिकारी की अनुशंसा–

जिले में नये नगर निकायों का गठन एवं पुराने नगर निकायों का उत्क्रमण हेतु प्राप्त प्रस्तावाओं की समीक्षा हेतु विहित प्रपत्र

1	जिला का नाम	
2	प्रखण्ड का नाम	
3	प्रस्तावित नगर निकाय का नाम	
4	नये नगर निकाय का गठन का प्रस्ताव है या उत्क्रमण का	
5	नये नगर निकाय के गठन के मामले में प्रस्तावित नगर निकायों क्षेत्र प्रखण्ड मुख्यालय के अन्तर्गत है या उससे अलग अन्य क्षेत्रों में।	
6	यदि प्रखण्ड मुख्यालय से भिन्न नेय क्षेत्र में गठन का प्रस्ताव है तो इसका विस्तारपूर्वक कारण	
7	प्रस्तावित नया नगर निकाय/उत्क्रमण में सम्मिलित पूर्ण ग्राम पंचायत का नाम एवं उसके अन्तर्गत सम्मिलित ग्राम का नाम थाना संख्या सहित अंकित किया जाय।	
8	प्रस्तावित नया नगर निकाय/उत्क्रमण में सम्मिलित आंशिक ग्राम पंचायत का नाम एवं उसके अन्तर्गत सम्मिलित ग्राम का नाम थाना संख्या सहित अंकित किया जाय।	
9	प्रस्तावित नया नगर निकाय/उत्क्रमण में सम्मिलित आंशिक ग्राम पंचायत की उपयुक्तता एवं आवश्यकता की समीक्षा के उपरांत विस्तारपूर्वक कारण अंकित किया जाय।	
10	प्रस्तावित नगर निकाय के क्षेत्रों का Latest Google Map A0 साईज कागज का संलग्न किया जाय।	
11	संलग्न Google Map में प्रस्तावित नये नगर निकाय क्षेत्र को स्केच पेन रेखांकित/ घेराबंदी किया जाय। तथा प्रस्तावित क्षेत्रों में घरों (Household) एवं आबादी (Habitation) की स्थिति Top view के रूप में दर्शायी जाय।	
12	नगर निकायों के उत्क्रमण के प्रस्तावित मामले में पुराने नगर निकाय क्षेत्रों एवं नये जोड़े जाने वाले अतिरिक्त क्षेत्रों को Google Map A0 साईज कागज में अलग–अलग रंग में स्केच पेन से दर्शाया जाए एवं प्रस्तावित क्षेत्रों में घरों	

	(Household) एवं आबादी (Habitation) की स्थिति Top view के रूप में दर्शायी जाय।	
13	नगर निकाय की चौददी तथा चौहद्दी में अंकित ग्रामों का नाम एवं थाना नं० अंकित किया जाए।	
14	प्रस्तावित नये नगर निकाय क्षेत्र/ उत्क्रमित नगर निकाय क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर अंकित किया जाए।	
15	प्रस्तावित नये नगर निकाय क्षेत्र/उत्क्रमित नगर निकाय क्षेत्र की जनसंख्या अधिनियम के प्रावधानानुसार (यथा—नगर पंचायत के लिए 12000—40000, नगर परिषद् के लिए 40000 से 200000 एवं नगर निगम के लिए 200000 या इससे अधिक) है या नहीं	
16	प्रस्तावित नये नगर निकाय क्षेत्र/ उत्क्रमित नगर निकाय क्षेत्र में वर्ष 2011 के जनगणना के प्रकाशित आँकड़ें के अनुसार कुल कर्मियों की संख्या।	
17	प्रस्तावित नये नगर निकाय क्षेत्र/ उत्क्रमित नगर निकाय क्षेत्र में वर्ष 2011 के जनगणना के प्रकाशित ऑकड़ें के अनुसार दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन काश्तकार कर्मियों (कृषि कर्मियों) की संख्या	
18	प्रस्तावित नये नगर निकाय क्षेत्र/ उत्क्रमित नगर निकाय क्षेत्र में दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन काश्तकार कर्मियों (कृषि कर्मियों) की संख्या कुल कर्मियों की संख्या की कितना प्रतिशत है। यह पचास प्रतिशत से कम होना चाहिए।	
19	प्रस्तावित नये नगर निकाय क्षेत्र/उत्क्रमित नगर निकाय क्षेत्र के गठन पर जिला पदाधिकारी की अनुशंसा अंकित किया जाए।	

जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी का हस्ताक्षर	जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी का हस्ताक्षर	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का हस्ताक्षर	जिला पंचायती राज पदाधिकारी का हस्ताक्षर	जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अपर समाहर्त्ता का हस्ताक्षर	जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर

(347)

पत्रांक–11/न0वि0/गठन–11/2025 2095 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांकः–22/7/25

विषयः– **राज्य में नए नगर निकायों के गठन (Constitution) तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण (Upgradation) एवं क्षेत्र विस्तार (Extenstion) हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक 1713 दिनांक 14.05.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वर्ष 2020 में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में संशोधन के उपरांत सभी जिला पदाधिकारी से राज्य में नए नगर निकायों के गठन (Constitution) तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण (Upgradation) एवं क्षेत्र विस्तार (Extenstion) हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। विभिन्न जिलों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में कुल 121 नए नगर निकायों का गठन के साथ ही कई नगर निकायों का उत्क्रमण एवं क्षेत्र विस्तार संभव हो सका। फलस्वरूप राज्य के शहरीकरण दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई।

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम (यथा संशोधित), 2007 की धारा 3 में नगर निकायों के गठन के संबंध में निम्न जनसंख्या अवधारित हैः–

(क) वृहतर शहरी क्षेत्र की दशा में दो लाख या उससे अधिक,

(ख) मध्यम शहरी क्षेत्र की दशा में चालीस हजार या उससे अधिक किन्तु दो लाख से अनधिक, और

(ग) अन्तर्वर्ती क्षेत्र, अर्थात छोटे शहर, की दशा में बारह हजार और उससे अधिक किन्तु चालीस हजार से अनधिक हो:

3. साथ ही उक्त धारा के परन्तुक में नगरपालिका क्षेत्रों का गठन एवं वर्गीकरण किये जाने के संबंध में निम्न प्रावधान हैः–

"सभी दशाओं में दीर्घकालिक व अल्पकालिक काश्तकार कर्मियों (कृषि कर्मियों) की कुल जनसंख्या उस क्षेत्र की कुल कर्मियों की जनसंख्या का पचास प्रतिशत से कम होगी।"

4. इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–7 के परन्तुक में किसी पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थस्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर के लिए सरकार अधिसूचना द्वारा पृथक

जनसंख्या–आकार अवधारित करने का प्रावधान है। उक्त आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2145 दिनांक 10.08.2022 द्वारा नगर पंचायत के लिए 9,000 से अधिक तथा 30,000 तक, नगर परिषद के लिए 30,000 से अधिक तथा 1,50,000 तक तथा नगर निगम के लिए 1,50,000 जनसंख्या अवधारित है।

5. उल्लेखनीय है कि इस क्रम में कई छोटे–छोटे बाजार का विस्तार हुआ है, जो उक्त अधिनियम की धारा–3 एवं 7 के आलोक में नगर निकायों के गठन का अर्हता पूरा करता है। साथ ही वर्तमान में राज्य के छोटे प्रगतिशील शहरीनुमा क्षेत्रों का शहर में तब्दील होने पश्चात नगर पंचायतों को "नगर परिषद" के रूप में तथा राज्य के कुछ बड़े नगर परिषदों को "नगर निगम" के रूप में उत्क्रमित किए जाने के संबंध में विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कई नगर निकायों के शहरी क्षेत्र का विस्तारीकरण के फलस्वरूप इनके क्षेत्र विस्तार पर भी विचार किया जा सकता है।

6. राज्य के छोटे–छोटे बाजारों को नगर पंचायत के रूप में अधिसूचित किए जाने के फलस्वरूप उन क्षेत्रों में नगर निकायों द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाएं यथा साफ–सफाई, समुचित ड्रेनेज, जलापूर्ति, कूड़ा उठाव, कचरा संग्रहण, स्ट्रीट लाईट, रोशनी इत्यादि वैसी सुविधाएं, जो विभिन्न नगर निकायों उपलब्ध कराई जाती है, वे सुविधाएं इन नगर पंचायतों वाले क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को उन नगरीय सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। साथ ही ऐसे नए नगर निकायों के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में लागू अन्य सभी योजनाओं का भी लाभ इन क्षेत्रों के लोगों को प्राप्त हो सकेगा तथा ऐसे नवगठित नगर निकायों का मास्टर प्लान बनाकर सुनियोजित रूप से विकास (Planned Development) किया जा सकेगा।

7. अतः अनुरोध है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम (यथा संशोधित), 2007 की धारा 3 एवं 7 के आलोक में प्रस्तावित नगर निकाय की कुल जनसंख्या, कुल कर्मियों (Workers) की संख्या एवं कुल कृषि कर्मियों (Agricultural Workers) की संख्या के आधार पर प्रस्ताव तथा उसका कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0), जनसंख्या घनत्व, सीमा, चौहद्दी एवं थाना नं0 इत्यादि के आधार पर विहित प्रपत्र (मूल) में नक्शा सहित प्रस्ताव अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि इस संदर्भ में नियमानानुसार कार्रवाई की जा सके।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

(340)

ज्ञापांक–11/न0वि0/गठन– 11/2025 2095 / न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक–22/7/25

प्रतिलिपिः नगर आयुक्त, सभी नगर निगम /कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11/न0वि0/गठन–11/2025 2095 / न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक–22/7/25

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11/न0वि0/गठन–11/2025 2095 / न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक–22/7/25

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

निबंधन संख्या पी0टी0-40

344

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 श्रावण 1947 (श0)
(सं0 पटना 1286) पटना, मंगलवार, 29 जुलाई 2025

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना
28 जुलाई 2025

सं० 4/क्षे0स्था0 जनगणना (अधिसूचना)–12–02/2025–514(4)/रा0—जनगणना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–37, सन् 1948) के तहत बनाये गये जनगणना नियम, 1990 के नियम X (iv) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल भारत की जनगणना 2027 के लिए बिहार राज्य के सभी जिलों, अनुमण्डलों, सामुदायिक विकास प्रखंडों, सांविधिक शहरों, ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक 31 दिसम्बर 2025 के पश्चात से भारत की जनगणना 2027 का कार्य पूर्ण होने की तिथि 31 मार्च 2027 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किये जाने का आदेश देते है। बिहार के राज्यपाल यह भी आदेश देते है कि क्षेत्राधिकार की सीमाओं में 01 जनवरी 2026 से पूर्व हुए परिवर्तनों से संबंधित सूचना एवं वांछित अधिसूचना निदेशक, जनगणना कार्य/निदेशक, नागरिक निबंधन, बिहार, पटना को अग्रसारित की जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेशानुसार,
दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव–सह–राज्य
समन्वयक, जनगणना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1286-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

(343)

पत्रांक–11/न0वि0/गठन–11/2025 938 /न0वि0एवंआ0वि0
बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांकः– 06/3/26

विषयः– राज्य में नए नगर निकायों के गठन (Constitution) तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण (Upgradation) एवं क्षेत्र विस्तार (Extenstion) हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 2095 दिनांक 22.07.2025 एवं पत्रांक 3392 दिनांक 09.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा राज्य के सभी जिलो में नए नगर निकायों के गठन (Constitution) तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण (Upgradation) एवं क्षेत्र विस्तार (Extenstion) हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उक्त आलोक में विभिन्न जिलों से अब तक कुल 29 प्रस्ताव प्राप्त हुए है (सूची संलग्न)।

2. इस संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 514 (4) दिनांक 28.07.2025 द्वारा भारत की जनगणना–2027 के लिए बिहार राज्य के सभी जिलों, अनुमण्डलों, सामुदायिक विकास प्रखण्डों, सांविधिक शहरों, ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों की प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक 31.12.2025 के पश्चात से भारत की जनगणना–2027 का कार्य पूर्ण होने की तिथि 31.03.2027 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किये जाने का आदेश दिया गया है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में भारत की जनगणना–2027 से संबंधित प्रक्रिया पूर्ण होने तक विभाग में अब तक प्राप्त कुल 29 प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है।

4. अतएव भारत की जनगणना–2027 के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त निदेश पर जनगणना का कार्य पूर्ण होने की तिथि दिनांक 31.03.2027 के पश्चात नवीनतम जनगणना (वर्ष 2027) के आधार पर पुनः प्रस्ताव उपलब्ध कराने के पश्चात नगर निकायों के गठन/क्षेत्र विस्तार/उत्क्रमण की कार्रवाई संभव है। साथ ही निदेश दिया जाता है कि जब तक

जनगणना–2027 पूर्ण नहीं हो जाता है तबतक नये नगर निकायों के गठन एवं पुराने नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्क्रमण का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं करायेंगे।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/न0वि0/गठन–11/2025 938 / न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक– 06/3/26

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/न0वि0/गठन– 11/2025 938 / न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक– 06/3/26

प्रतिलिपिः–नगर आयुक्त, सभी नगर निगम /कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/न0वि0/गठन–11/2025 938 / न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक– 06/3/26

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (नगर विकास एवं आवास विभाग) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

जिला पदाधिकारी से नगर निकायों के गठन/क्षेत्र विस्तार/उत्क्रमण हेतु प्राप्त कुल 29 प्रस्तावों की सूची।			
क्र0 सं0	जिला	क्र0 सं0	प्रस्ताव
1	सारण	1	नगर परिषद, सोनपुर का क्षेत्र विस्तार के संबंध में।
		2	मकेर को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		3	नगर निगम, छपरा का क्षेत्र विस्तार के संबंध में।
		4	नगर पंचायत, रिविलगंज को क्षेत्र विस्तार करते हुए नगर परिषद में उत्क्रमण करने के संबंध में।
		5	बेला को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		6	बनियापुर को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		7	इसुआपुर को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		8	नगरा को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		9	पानापुर को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		10	गरखा को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		11	तरैया को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		12	अमनौर को नगर परिषद घोषित करने के संबंध में।
		13	नगर पंचायत, मढ़ौरा को क्षेत्र विस्तार करते हुए नगर परिषद में उत्क्रमण करने के सबंध में।
2	जहानाबाद	14	शकूराबाद को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
3	औरंगाबाद	15	ओबरा को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		16	अम्बा को नगर पंचायत घोषित करने के सबंध में।
		17	गोह को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		18	हसपुरा को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
4	नवादा	19	पकरीबरावॉ को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
		20	कौआकोल को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
5	रोहतास	21	तिलौथू को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
6	मधुबनी	22	नगर पंचायत, जयनगर को क्षेत्र विस्तार करते हुए नगर परिषद में उत्क्रमण करने के संबंध में।
7	सिवान	23	नगर पंचायत, मैरवा को क्षेत्र विस्तार करते हुए नगर परिषद में उत्क्रमण करने के संबंध में।
8	वैशाली	24	हाजीपुर, नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार करते हुए नगर निगम में उत्क्रमण करने के संबंध में।
		25	लालगज, नगर पंचायत का क्षेत्र विस्तार करते हुए नगर परिषद में उत्क्रमण करने के संबंध में।
		26	वैशाली को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।
9	मुजफ्फरपुर	27	नगर निगम, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र विस्तार करने के संबंध में।
10	समस्तीपुर	28	शाहपुर पटोली, नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार करने के संबंध में।
11	पूर्वी चम्पारण	29	घोड़ासहन को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।